पत्र संख्या–6 / आधु0–01–08 / 2016गृ0आ0..................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक   अगस्त, 2016

विषय :– पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014–15 के अंतर्गत रेल पुलिस के लिए स्वीकृत 4 अदद X-Ray Baggage Scanners के क्रय हेतु Bharat Electronics Limited, Pune से प्राप्त Proforma Invoice के आलोक में ₹ 77,49,880 (सतहत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ अस्सी रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–742 / आपूर्ति, दिनांक 15.07.2016 के आलोक में पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2014–15 के अन्तर्गत रेल पुलिस के लिए स्वीकृत X-Ray Baggage Scanners का क्रय Bharat Electronics Limited, Pune से प्राप्त Proforma Invoice के आलोक में प्रति अदद 19,37,470 (उन्नीस लाख सैंतीस हजार चार सौ सत्तर रू0) मात्र की दर से कुल 4 अदद X-Ray Baggage Scanners का क्रय हेतु ₹ 77,49,880 (सतहत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ अस्सी रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त के आलोक में वर्णित X-Ray Baggage Scanners के क्रय हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 में निहित प्रावधान के अनुसार राशि कुल ₹ 77,49,880 (सतहत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ अस्सी रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति इस शर्त्त पर दी जाती है कि इन सामग्रियों की आपूर्ति अग्रिम भुगतान के पश्चात् प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतर्गत गैर योजना की मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष–0001–पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि, विषय शीर्ष 52 01–मशीन एवं उपस्कर तथा विपत्र कोड सं0 N2055001150001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरूद्व आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त में विभागीय मंत्री मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / आधु0–01–08 / 2016गृ0आ0........6670........ / पटना, दिनांक 24 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधु0), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा. 23/08/16

सरकार के अवर सचिव

23.8.16